

बिहार सरकार
श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग
अधिसूचना

पटना, दिनांक-

एस0 ओ0- दिनांक- न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा-5 के साथ वर्णित उक्त अधिनियम की धारा-3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल अनुबद्ध अनुसूची-1 (ब) के स्तंभ-2 में अंकित अनुसूचित नियोजनों में नियोजित विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए निर्धारित/पुनरीक्षित न्यूनतम मजदूरी के दरों पर परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता लागू करने की घोषणा करते हैं। अनुसूची -1(ब) के स्तंभ-02 में उल्लिखित नियोजनों में नियोजित कर्मचारियों पर परियोज्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, उक्त अनुसूची-1 (अ) के स्तंभ-01 के प्रदर्शित महिनों के लिए उक्त अधिनियम की धारा-2 के खंड (डी) के प्रयोजन के निमित्त अनुसूची 1 (अ) के स्तम्भ-04 में यथा प्रदर्शित रूप में होंगे।

अनुसूची-1 (अ)

माह एवं वर्ष	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार वर्ष (2016-100)	आधार वर्ष परिवर्तन हेतु लिंक फैक्टर	परिवर्तित मूल्य सूचकांक आधार वर्ष (1960-100)
जुलाई, 25	146.5	4.63 X4.93 X2.88	9630.70
अगस्त, 25	147.1	4.63 X4.93 X2.88	9670.14
सितम्बर, 25	147.3	4.63 X4.93 X2.88	9683.29
अक्टूबर, 25	147.7	4.63 X4.93 X2.88	9709.59
नवम्बर, 25	148.2	4.63 X4.93 X2.88	9742.45
दिसम्बर, 25	148.2	4.63 X4.93 X2.88	9742.45
योग :-58178.62			
वर्ष 2025 के द्वितीय अर्धांश जुलाई, 2025 से दिसम्बर, 2025 का औसत- 58178.62÷6=9696.			





अनुसूची-1(ब)

क्र० सं०	अनुसूचित नियोजन का नाम	दिनांक-01.10.2025 से लागू दरों से संबंधित अधिसूचना एवं गजट संख्या का संदर्भ	कुल
1	2	3	4
1	कृषि नियोजन	अधिसूचना संख्या -60,61 दिनांक- 23.09.2025 गजट सं०-1561, दिनांक-24.09.2025	कृषि नियोजन

अनुसूची-II


क्र० सं०	कामागारों की कोटि	दिनांक-01.09.2022 + 01.10.2022+01.04.2023+01.10.2023+01.04.2024+01.10.2024+01.04.2025+ 01.10.2025 से निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की दरें (रुपये में)	परिवर्तनशील महँगाई भत्ता की राशि जो कि दिनांक- 01.04.2026 से प्रभावी होगी	01.04.2026 से लागू कुल मजदूरी की दरें। (स्तंभ 3+4)
1	2	3	4	5
1	कटनी कार्य को छोड़कर अन्य कार्यों के लिए।	348.00+7.00+14.00+ 7.00+14.00+1.00+ 11.00+3.00=405.00	8.00	413.00 प्रतिदिन
2	ट्रेक्टर ड्राइवर एवं पम्प ऑपरेटर।	12587.00+252.00+ 503.00+252.00+503.00+ 53.00+399.00+ 126.00=14675.00	272.00	14947.00 प्रतिमाह
3	ट्रेक्टर खलासी/ पम्प खलासी/ चौकीदार/सिपाही /हलवाहा।	9795.00+196.00+ 392.00+196.00+392.00+ 41.00+311.00+ 98.00=11421.00	212.00	11633.00 प्रतिमाह
4	कटनी	काटी गई फसल के 10 बोझा में एक बोझा।		



परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता की दरें अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के उस औसत बिन्दु पर आधारित होगा जिस पर उपर्युक्त अनुसूचित नियोजनों से परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता की दरें निर्धारित/पुनरीक्षित की गई है। उपर्युक्त सूचकांक में यथोस्थिति वृद्धि अथवा ह्रास के अनुसार न्यूनतम मजदूरी की दरों में उपर्युक्त अनुसूची के स्तंभ-4 में अंकित दर से वृद्धि या कमी की जायेगी और उसे परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता का अंश समझा जायेगा। परन्तु यदि सूचकांक उस बिन्दु से कम हो जाय जिस बिन्दु पर न्यूनतम मजदूरी की दरें निर्धारित पुनरीक्षित की गई हो तो निर्धारित/पुनरीक्षित न्यूनतम मजदूरी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। उक्त परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता भुगतान उपर्युक्त दर से जुलाई-दिसम्बर, 2025 के औसत के आधार पर 1 अप्रैल, 2026 से देय होगा और इसके बाद प्रत्येक छः महीने के औसत अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता की राशि में वृद्धि अथवा कमी संबंधित छमाही के तीन महीने बाद से लागू होगा।

(संख्या-5/एम0डब्लू0-40-17/2021 श्र0सं0-48)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,


1.4.26
(राजीव रंजन)
संयुक्त सचिव।

अधिसूचना

एस0 ओ0 - दिनांक का अँग्रेजी भाषा में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अँग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

(संख्या-5/एम0डब्लू0-40-17/2021 श्र0सं0-49)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,


1.4.26
(राजीव रंजन)
संयुक्त सचिव।

NOTIFICATION

S.O. Date In exercise of the powers conferred by section - 3 of the Minimum Wages Act, 1948 (XI of 1948), read with the clause (B) of sub-section(1) of Section-5 of the said act the Governor of Bihar is pleased to introduce the formula for Variable Dearness Allowance in the minimum rates of wages fixed/ revised for the different categories of employees employed in the scheduled employments mentioned in column-02 of schedule 1(B) here to appended for the months shown in column-1 of the said schedule shall be shown in column-04 of the schedule 1(A) for the purpose of clause (d) of section -02 of the said Act.

Schedule-1 (A)

Month & Year	Index No Base Year (2016-100)	Link Factor Change for base year	Changed Index No. for base year (1960-100)
1	2	3	4
July-2025	146.5	4.63 X4.93 X2.88	9630.70
August-2025	147.1	4.63 X4.93 X2.88	9670.14
September-2025	147.3	4.63 X4.93 X2.88	9683.29
October-2025	147.7	4.63 X4.93 X2.88	9709.59
Novemberer-2025	148.2	4.63 X4.93 X2.88	9742.45
December-2025	148.2	4.63 X4.93 X2.88	9742.45
Total:-58178.62			
Second Half Yearly Average of the year July- to December ,2025 58178.62÷6=9696.43			

Schedule-1(B)

Sl.no	Name of employment	Reference of Notification and Gazette for the rates effective from 01.04.2023	Total
1	2	3	4
1	Agriculture Operations	Notification No- (60,61) Dated- 23.09.2025 Gazette No.- 1561 Dated- 24.09.2025	Agriculture Operations

Schedule-II

Sl. No	Categories of Worker	From Dated-01.09.2022 +01.10.2022+01.04.2023+ 01.10.2023+01.04.2024+ 01.10.2024+01.04.2025+ 01.10.2025 Minimum Wages Fixed (In. Rs.)	Amount of V.D.A. which is effective from the date- 01.04.2026 (In Rs.)	Total rates of wages effective from the date 01.04.2026 Column (3+4)
1	2	3	4	5
1	All other agricultural operations except harvesting	348.00+7.00+14.00+7.00+ 14.00+1.00+11.00+3.00 =405.00	8.00	413.00 Perday
2	Tractor Driver and Pump operator	12587.00+252.00+503.00 +252.00+503.00+53.00+ 399+126.00= 14675.00	272.00	14947.00 Permonth
3	Tractor Khalasi / Pump Khalasi/ Choukidar/ Sipahi	9795.00+196.00+392.00+ 196.00+392.00+41.00+31 1.00+98= 14421.00	212.00	14633.00 Permonth
4	Harvesting	One bundle in 10 bundle of harvested crops.		



The rates of Variable Dearness Allowance will be based on the average of All India Consumer Price Index on which the minimum rates of wages has been fixed/revised in the above scheduled employment. There will be increase or decrease in rates of wages shown in colum-4 with rise or fall as the case may be in aforesaid index of the above schedule employments and will be deemed as Variable Dearness Allowance components. But even if the Index fall below the point on which minimum rates of wages have been fixed/ revised, there will not be any reduction in the minimum wages fixed/revised. The payment of variable Dearness Allowance on the basis of average index of **July - December, 2025** will be payable at the aforesaid rates form **1st April, 2026** and thereafter increase or decrease in the amount of Variable Dearness Allowance will be based on the average of All India Consumer Price Index number for every six months and will be applicable after the expiry of the three said period of six months.

(No- 5/M.W.-40-17/2021 Sr. no.- 48)

By the order of the Governor of Bihar,

(Rajeev Ranjan)

Joint Secretary.

ज्ञापांक-संख्या-5/एम0डब्लू0-40-17/2021 श्र०सं०- 49 पटना, दिनांक- 01/4/26

प्रतिलिपि :- प्रभारी पदाधिकारी, गजट मुद्रण कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को अधिसूचना की दो प्रतियाँ एवं सी०डी० के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि अधिसूचना को राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित करने की कृपा की जाय एवं उक्त राजपत्र की 100 (सौ) प्रतियाँ श्रमायुक्त, बिहार का कार्यालय श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

(राजीव रजन)


संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक- संख्या-5/एम0डब्लू0-40-17/2021 श्र०सं०- 49 पटना, दिनांक- 01/4/26

प्रतिलिपि-निदेशक, श्रम मंत्रालय(वेज सेल) भारत सरकार, श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली/निदेशक, श्रम व्यूरो, शिमला एवं चंडीगढ़/स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली/मुख्य मंत्री सचिवालय, पटना/मुख्य सचिव, बिहार, पटना/बिहार सरकार के सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/महानिदेशक, सूचना एवं जन संपर्क विभाग, बिहार, पटना/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप श्रमायुक्त/सहायक

[Handwritten mark]

श्रमायुक्त, शोध शाखा/सभी सहायक श्रमायुक्त/सभी श्रम अधीक्षक/निदेशक, कृषि श्रमिक, बिहार, पटना/मुख्य निरीक्षी पदाधिकारी, बिहार, पटना/मुख्य कारखाना निरीक्षक, बिहार, पटना/सभी उप मुख्य कारखाना निरीक्षक/सभी कारखाना निरीक्षक/मुख्य वाष्पित्र निरीक्षक बिहार, पटना एवं सभी वाष्पित्र निरीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।


1.4.26
(राजीव रंजन)

संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक- संख्या-5/एम0डब्लू0-40-17/2021 श्र०सं०- ५१ पटना, दिनांक- 01/4/26

प्रतिलिपि- माननीय मंत्री, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग के आप्त सचिव/सचिव, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग सह-अध्यक्ष, बिहार न्यूनतम मजदूरी परामर्शदातृ पर्षद/सभी सदस्य, बिहार न्यूनतम मजदूरी परामर्शदातृ पर्षद/सचिव, बिहार चेम्बर ऑफ कामर्स, खेमचन्द चौधरी मार्ग, पटना-01/सचिव, बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, सिन्हा लाईब्रेरी रोड, पटना/प्राचार्य, बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय, पटना/उप कुलपति राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पटना/उप कुलपति, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर/मुख्य अभियंता (ग्रामीण अभियंत्रण संगठन), ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना/मनरेगा आयुक्त, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना एवं मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग तकनीकी कोषांग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. संबंधित पदाधिकारियों से अनुरोध है कि अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत प्रभावित होने वाले सभी कर्मों एवं कार्यालय को अपने-अपने स्तर से अधिसूचना की प्रति उपलब्ध कराने का कष्ट करेंगे।


1.4.26
(राजीव रंजन)

संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक- संख्या-5/एम0डब्लू0-40-17/2021 श्र०सं०- ५१ पटना, दिनांक- 01/4/26

प्रतिलिपि:-आई०टी० मैनेजर, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


1.4.26
(राजीव रंजन)

संयुक्त सचिव।

